एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 (एमपीसीडीएफ)

दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल

दूरभाषः 0755 2580400 –03 फेक्स नं. 2583149

वाहन विक्रय हेतु निविदा सूचना

एमपीसीडीएफ दुग्ध भवन, हबीबगंज भोपाल द्वारा टाटा इण्डिका वर्ष 2006 मॉडल एवं जाइलो वर्ष 2009 मॉडल ''जहां हैं जैसी है'' के आधार पर विक्रय करने हेतु निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों का अवलोकन एमपीसीडीएफ की बेवसाईट www.mpcdf.gov.in एवं www.sanchidairy.com में किया जा सकता है । वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन समय में एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ परिसर में किया जा सकता है।

निविदा की मुख्य जानकारी निम्नानुसार है :

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	प्रतिभूति राशि
दिनांक 08.01.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक	दिनांक 11.01.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक	दिनांक 12.01.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक	रूपये 5000/– टाटा इंडिका वाहन रूपये 10,000/– जाइलो वाहन

प्रबंध संचालक

एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 (एमपीसीडीएफ)

दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल

दूरभाषः 0755 2580400 –03 फेक्स नं. 2583149

<u>वाहन विक्रय दस्तावेज</u>

अनुसूची प्रथम	सामान्य शर्तें
अनुसूची द्वितीय	वाहनों का विवरण एवं धरोहर राशि
निविदा संदर्भ	एमपीसीडीएफ --------------------
निविदा दस्तावेज विक्रय करने की अंतिम दिनांक	दिनॉक 08.01.2021
समय	5.00 बजे सांय तक
पोर्टल	
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 11.01.2021 5.00 बजे सांय तक
निविदा दस्तावेज खोलने की दिनांक	दिनॉक 12.01.2021
समय	अपरान्ह् 3.00 बजे
निविदा दस्तावेज खोलने का स्थान	एमपीसीडीएफ भोपाल
सूचना एवं प्रसारण हेतु पता	प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ हबीबगंज भोपाल 462024
निविदा प्रपत्र का मूल्य	500(पॉच सौ रूपये मात्र) जमा एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल के नाम देय हो ।

प्रबंध संचालक

<u>: अनुसूची प्रथम :</u>

सामान्य शर्ते :–

निविदा प्रस्तुति :– (अ) निविदा प्रपत्र दिनांक 08.01.2021 तक कार्यालय से रूपये 500/– भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे ।

(ब) निविदायें दिनांक 11.01.2021 05.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है।

(स) नियत दिनॉक 12.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय में खोली जायेंगी।

(1) वाहन जहॉ है, जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जावेगा एवं इस कार्यालय द्वारा वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबधं में इस कार्यालय द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जा रही है।

(2) निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।

(3) निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा।

(4) एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका श्रमिक एवं सर्विस प्रोवाईडर कर्मी को स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नि, पुत्र, पुत्री) को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी ।

(5) निविदा में सुधार या ओव्हर राईटिंग के स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा ओव्हर राइटिंग के स्थान पर विवरण पुनः स्पष्ट लिखें।

(6) **अनुमोदित पार्टी को निविदा में अनुमोदित राशि एक सप्ताह के अंदर जमा कर वाहन 30 दिवस के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।** समयावधि में वाहन नहीं उठाने पर रूपये 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से पार्किग चार्ज अलग से देय होगा।

(7) निविदाकर्ता द्वारा अनुसूची क्रमांक 2 में दर्शाई धरोहर राशि निविदा के साथ डीडी या बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा रहेगी। वाहन **नहीं उठाने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। डी.डी. या बैंकर्स चैक, एम. पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के नाम से संलग्न करें ।**

(8) वाहन का अवलोकन प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक समय में निविदा जमा करने की नियत समय सीमा तक किया जा सकेगा।

(09) वाहन पर नियमानुसार विक्रय कर एवं अन्य कर निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं वर्तमान निवास का प्रमाण की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य रहेगा । निविदा प्रपत्र में अपनी क्रय दर दर्शाना होगी।

(10) विक्रय किया गया वाहन का इंश्योरेंस एवं रजिस्ट्रेशरन सफल निविदाकार के नाम से होने के पश्चात् प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही वाहन की डिलेवरी सफल निविदाकार को दी जाएगी ।

(11) निविदा फार्म में निविदाकर्ता के स्वंय के पासपोर्ट साईज फोटो जो कि तीन माह से पुराना न हो चस्पा करना अनिवार्य है।

(12) उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता वाले निविदाकार को वाहन विक्रय किया जावेगा । प्रत्येक वाहन के लिये अलग–अलग उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार को वाहन दिया जाएगा । यदि एक ही निविदाकार द्वारा दोनों वाहनों के लिए अलग–अलग उच्चतम दर प्रस्तुत की जाती है तोउस निविदाकार को दोनों वाहन प्रदाय किये जाएंगे । अनुसूचित द्वितीय में लिखित लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन से कम मूल्य पर वाहन विक्रय नहीं किये जायेंगे ।

(13) निविदाकार को निविदा में दरें समस्त टेक्स रहित प्रस्तुत की जाना होगी । समस्त टेक्स जमा करने की जावबदारी निविदाकार की रहेगी ।

(14) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(15) वाहन की डिलेवरी होने के पश्चात् वाहन निविदाकार को अपने नाम करने हेतु एमपीसीडीएफ द्वारा विक्रय पत्र जारी किया जावेगा एवं वाहन हस्तांतरण की संपूर्ण राशि का व्यय निविदाकार को स्वयं करना होगा ।

(16) वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् वाहन के संबंध में समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं दुर्घटना आदि होने पर एमपीसीडीएफ जबावदार नहीं होगा ।

(17) विक्रय किये गये वाहन की डिलेवरी सफलतम निविदाकार को निवास के प्रमाण (आधार कार्ड बिजली का बिल आदि) देने पर ही दी जावेगी ।

(18) असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि 30 कार्यालयीन दिवसों के भीतर वापस लौटा दी जावेगी ।

(19) प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त शर्तो का भलि–भॉति अध्ययन कर ले एवं इन शर्तो के नीचे निविदाकार अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटाये ।

(20) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल को वाहन विक्रय की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने या स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार है।

(21) धरोहर राशि –

(अ) सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि धरोहर राशि प्रबंध संचालक एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल को देय हो, एवं जिसका विवरण अनुसूची क्र. दो में इंगित किया है निविदा के साथ जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा**। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।**

(ब) असफल निविदाकर्ताओं को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के 30 दिन के अन्दर वापिस की जायेंगीं। सफल निविदाकर्ताओं की प्रतिक्षा सूची के प्रथम निविदाकार की धरोहर राशि एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेंगी।

(स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(द) सफल निविदाकार की धरोहर राशि वाहन/वाहनों की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस स्वयं के नाम पर करवाने के पश्चात् ही वापस की जायेगी ।

(14) मूल्य :– निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वाहन की दरें स्थिर होनी चाहिये। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 15 दिवस में सूचित किया जावेगा।

(15) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :–

(i) निविदाकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन न करने पर अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ का होगा।

(ii) विवादास्पद प्रकरण में ऊपर दिये गये अनुसार अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ का होगा जो संबंधित निविदाकर्ताओं पर बन्धनकारी होगा।

(iii) सभी प्रकार के न्यायालयीन विवादों का स्थान भोपाल होगा।

(iv) निविदा अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय पृक्ष के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जैसे कि कंडिकाओं का अर्थ, कंडिकाओं का प्रभाव दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार की व्याख्या एवं अनुबंध की शर्तो – के उल्लंघन आदि की स्थिति में विवाद को प्रबन्ध संचालक को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(अ) एम.पी.सीसीडी.एफ का प्राधिकृत अधिकारी ही विवादित प्रकरण का Sole Arbitrator होगा एवं उनका निर्णय दोनों पृक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

प्रबन्ध संचालक
एमपीसीडीएफ, भोपाल

<u>अनुसूची द्वितीय :</u>

वाहन की सूची निर्धारित धरोहर राशि एवं मूल्यांकन विवरण का विवरण

क्र.	वाहन के मॉडल	धरोहर राशि रूपये	लोक निर्माण विभाग का मूल्यांकन
1.	वाहन क्रमॉक एम पी–**04 CA 2409,** (टाटा इण्डिका) वर्ष 2006 मॉडल, डीजल चलित	**5000.00**	रू.25.000 / –
2.	वाहन क्रमॉक एम पी–**04 CC-8571,** (जाइलो) वर्ष 2009 मॉडल, डीजल चलित	**10,000/-**	1,25,000 / –

फोटो

:निविदा फार्मः

(दरें निम्न प्रारूप में भरा जाय)

प्रति,
प्रबंध संचालक
एमपीसीडीएफ भोपाल

सेवा में,

आपके द्वारा वाहन विक्रय हेतु जारी निविदा के संदर्भ में हम अपनी दरें निम्नानुसार प्रेषित करते हैं तथा इन दरों की स्वीकृति होने पर संदर्भित टेण्डर की शर्तो के अनुसार वाहन क्रय करने हेतु तैयार है। निविदा में अनुसूची प्रथम एवं द्वितीय दी गई सभी शर्ते हमारे द्वारा पढ़ ली गई है तथा हमें स्वीकार है। मैं शपथपूर्वक लेख करता हूँ कि मैं या मेरे परिवार (पति/पत्नी, पुत्र, पुत्र) एमपीसीडीएफ या किसी भी दुग्ध संघ में कार्यरत नहीं है।

क्रमांक	वाहन का विवरण	दर	
		अंकों में	शब्दों में
1.	वाहन क्रमॉक एमपी04–CA–2409, (टाटा इण्डिका) वर्ष 2006 मॉडल, डीजल चलित		
2.	**वाहन क्रमॉक एम पी–04 CC-8571,** (जाइलो) वर्ष **2009 मॉडल, डीजल चलित**		

नोटः (1) उक्त दरों में कोई कर सम्मिलित नहीं है।

हम प्रचलित दरों के आधार पर लागू टेक्स अतिरिक्त रूप में जमा कराएंगे।

(1) धरोहर राशि **''एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल''** के नाम से डी.डी. या बैंकर्स चैक के रूप में संलग्न करें ।

राशि रूपये (अंको में) ....

(शब्दों में) ....

(2) पेन कार्ड नंबर..(छायाप्रति)..

(3) आधार नंबर...(छायाप्रति)...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
फोन नंबर ....
पेन नंबर...
आधार नंबर...